न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00186 (186/2019)

रामप्रताप पुत्र गोपालराम आयु 72 वर्ष जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0) —अपीलान्ट

बनाम

1. लाली देवी पुत्री श्री रामप्रताप पत्नी श्री मनोहरलाल जाति मेघवाल निवासी दुधवाल कॉलोनी वार्ड नं. 23 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)।
2. मोहनलाल उर्फ, मोमनलाल टेलर पुत्र श्री रामप्रताप जाति मेधवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)।
3. श्रीराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति मेधवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।(राज0)
4. रेशमा पुत्री श्री रामप्रताप पत्नी श्री भूपराज जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ। (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधीनियम
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2021 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ प्र0 संख्या 104/2012 बअनवानी लीलादेवी बनाम रामप्रताप आदि

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

श्री रामस्वरूप वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1
श्री प्रहलाद कुमार सुथार अधिवक्ता रेस्पाडेण्ट सं0 2 व 4
श्री विश्वजीतसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3
श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

निर्णय दिनांक – 02.08.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:08 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं... ...ीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, ... 188, 183 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र की मद सं0 2 में अंकित चक ... केएसपी व 19 के ... की भूमि को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पैतृक भूमि में अपना 1/5 हिस्सा होने का कथन करते हुए वादीया ने 1/5 हिस्सा की घोषणा कर अच्छी मंदी के हिसाब से वादीया का खाता प्रतिवादीगण से अलग कायम किये जाने, राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने काउण्टर क्लेम पेश किया कि प्रश्गनत आराजी पैतृक आराजी नहीं है बल्कि स्वयं अजिर्त सम्पति है। पिता का देहान्त 2004 से पूर्व हो चुका है उनके सभी अधिकार पुत्रों में ओद हो चुके है जिस पर वादीया का कोई हक हिस्सा नहीं है। वादीया वाद नहीं ला सकती है। अतः वाद खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपीलाण्ट ने यह अपील इस आधार की है कि अपीलाण्ट के पिता का देहान्त सन् 2004 से पूर्व सन् 1991 में हो चुका था इस कारण वादीया का विवादित कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई उत्तराधिकार उत्पन्न नहीं होता है। वादीया के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अधिनियम 2005 में लागू हुआ था इस अधिनियम का प्रभाव भूतलक्षी न होकर भविष्यलक्षी मात्र है इस प्रकार वादीया का कोई किसी प्रकार का हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.07.2021 को उभयपक्ष ने राजीनामा पेश किया उभयपक्ष की बहस सुनी गई । रेस्पोडेण्ट संख्या 4 का नाम अपील शीर्षक में रेशमा पत्री रामप्रताप अंकित है। राजीनामा मे उसके द्वारा रोशनी के नाम से हस्ताक्षर किये हैं। आधार कार्ड में उसका नाम रोशनी अंकित है। इस संबंध में रेशमा उर्फ रोशनी ने शपथ–पत्र पेश किया है जिसे प्रहलाद सुथार अधिवक्ता ने सत्यापित किया है। इस शपथ–पत्र में अंकित है कि मिकरा को रेशमा व रोशनी दोनों ही नामों से जाना व पुकारा जाता है। अपील में मिकरा का नाम रेशमा अंकित है जबकि मिकरा के आधार कार्ड में मिकरा का नाम रोशनी अंकित है। उक्त दोनों ही नाम मुझ मिकरा के हैं, अन्य किसी औरत के नहीं है। इस शपथ पत्र के आधार पर प्रकट होता है कि रेशमा व रोशनी एक ही औरत के दो नाम हैं। उभयपक्ष में से किसी ने भी इस संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की और उभयपक्ष ने राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

4. अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। अतः बरूए राजीनामा अपील स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ के पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2019 निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलाण्ट रामप्रताप को चक 19 केएसपी खाता संख्या 61/60 जमाबन्दी संवत 2058 पत्थर नं. 125/318 मुरब्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नं. 11 किला नं. 2/.161 है0 (.016 हैक्टेयर गैर मु. रास्ता), 3/.253 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता), 4/1/.118 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता), 9/.161 है0, 12/.161 है0 कुल .854 है0 व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लाली देवी को चक 17 केएसपी खाता संख्या 65/27 जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 के प. नं. 131/316 मुरब्बा नं. 15 किला नं. 22/1/.152 हैक्टेयर, 23/.253 है0 24/.253 है0, पत्थर नं. 131/317 मुरब्बा नम्बर 28 किला नं. 4/1/.185 हैक्टेयर कुल .843 है0 व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 मोहन लाल उर्फ मोमनलाल को चक 19 केएसपी खाता संख्या 61/60 जमाबन्दी सम्वत 2058 प. नं. 125/318 मुरब्बा नं. 11 किला नं. 6/.253 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता), 7, 8/.253 है0 प्रत्येक, 9/.092 है0 कुल .851 है0 व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 श्रीराम चक 19 केएसपी, खाता संख्या 61/60 जमा बन्दी सम्वत 2058 प. नं. 125/318 मुरब्बा नं. 11 किला नं. 12/.092 है0, 13, 14/.253 है0 प्रत्येक, 15/.253 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता) कुल .851 है0 तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 रेशमा को चक 19 केएसापी खाता संख्या 61/60 जमाबन्दी सम्वत 2058 प. नं. 125/318 मुरब्बा नं. 11 किला नं. 1/.253 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता), 2/.092 है0 (.009 है0 गैर. मु. रास्ता), 10, 11/.253 है0 प्रत्येक कुल .851 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 17 केएसपी की अपीलाण्ट के नाम दर्ज समस्त आराजी जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के हिस्सा में आई है उस पर अपीलाण्ट द्वारा ऋण उठाया हुआ है, जिसे अपीलाण्ट रामप्रताप स्वयं 02 माह के अन्दर बैंक ऋण अदा कर एनओसी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को उपलब्ध करवायेगा। अगर अपीलाण्ट 02 मााह में ऋण चुकता नहीं करता है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इसी अनुसार खाता तकसीम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनीयॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनीयॉ आर0ए0एस0

अपील सं0 2019/00186 (186/2019)

रामप्रताप पुत्र गोपालराम आयु 72 वर्ष जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ। (राज0) —अपीलान्ट

बनाम

1. लाली देवी पुत्री श्री रामप्रताप पत्नी श्री मनोहरलाल जाति मेघवाल निवासी दुधवाल कॉलोनी वार्ड नं. 23 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)।
2. मोहनलाल उर्फ, मोमनलाल टेलर पुत्र श्री रामप्रताप जाति मेधवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)।
3. श्रीराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति मेधवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।(राज0)
4. रेशमा पुत्री श्री रामप्रताप पत्नी श्री भूपराज जाति मेघवाल निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ। (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2021 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ प्र0 संख्या 104/2012 बअनवानी लीलादेवी बनाम रामप्रताप आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री रामस्वरूप वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1, श्री प्रहलाद कुमार सुथार अधिवक्ता रेस्पाडेण्ट सं0 2 व 4 श्री विश्वजीतसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3, श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि बरूए राजीनामा अपील स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2019 निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलाण्ट रामप्रताप को चक 19 केएसपी खाता संख्या 61/60 जमाबन्दी संवत 2058 पत्थर नं. 125/318 मुरब्बा नं. 11 किला नं. 2/.161 है0 (.016 हैक्टेयर गैर मु. रास्ता), 3/.253 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता), 4/1/.118 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता), 9/.161 है0, 12/.161 है0 कुल .854 है0 व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लाली देवी को चक 17 केएसपी खाता संख्या 65/27 जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 के प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्रा...
हनुमानगढ़

नं. 131/316 मुरब्बा नं. 15 किला नं. 22/1/.152 हैक्टेयर, 23/.253 है0 24/.253 है0, पत्थर नं. 131/317 मुरब्बा नम्बर 28 किला नं. 4/1/.185 हैक्टेयर कुल .843 है0 व रेसपोडेण्ट संख्या 2 मोहन लाल उर्फ मोमनलाल को चक 19 केएसपी खाता संख्या 61/60 जमाबन्दी सम्वत 2058 प. नं. 125/318 मुरब्बा नं. 11 किला नं. 6/.253 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता), 7, 8/.253 है0 प्रत्येक, 9/.092 है0 कुल .851 है0 व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 श्रीराम चक 19 केएसपी, खाता संख्या 61/60 जमा बन्दी सम्वत 2058 प. नं. 125/318 मुरब्बा नं. 11 किला नं. 12/.092 है0, 13, 14/ .253 है0 प्रत्येक, 15/.253 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता) कुल .851 है0 तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 रेशमा को चक 19 केएसापी खाता संख्या 61/60 जमाबन्दी सम्वत 2058 प. नं. 125/318 मुरब्बा नं. 11 किला नं. 1/.253 है0 (.025 है0 गैर. मु. रास्ता), 2/.092 है0 (.009 है0 गैर. मु. रास्ता), 10, 11/.253 है0 प्रत्येक कुल .851 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 17 केएसपी की अपीलाण्ट के नाम दर्ज समस्त आराजी जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के हिस्सा में आई है उस पर अपीलाण्ट द्वारा ऋण उठाया हुआ है, जिसे अपीलाण्ट रामप्रताप स्वयं 02 माह के अन्दर बैंक ऋण अदा कर एनओसी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को उपलब्ध करवायेगा। अगर अपीलाण्ट 02 मााह में ऋण चुकता नहीं करता है तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इसी अनुसार खाता तकसीम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 02.08.2021 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4/8/21

(करतार सिंहि पूनीया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:34:08 IST
Reason: SelfAttested